संबंध में अब तक क्या कार्यवाही की है; और

(ख) विशेषज्ञों के नाम क्या हैं और वे जैसलमेर में इस प्रयोजनार्थ कब से काम कर रहे हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश शर्मा): (क) और (ख) राजस्थान के मुख्य मंत्री से ऐसा कोई अनुरोध नहीं मिला है।

लखनऊ, आगरा और कानपुर में एल०पी०जी० वितरण प्रणाली

1679. **चौधरी हरमोहन सिंह:**
श्री ईश दत्त यादव:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि तीन तेल कम्पनियों की वर्तमान रसोई-गैस वितरण प्रणाली से उत्तर प्रदेश में विशेषकर लखनऊ, आगरा और कानपुर में उपभोक्ताओं को असुविधा हो रही है;

(ख) क्या उपभोक्ताओं को गत तीन महीनों के दौरान इन शहरों में रसोई गैस के प्रति सिलिंडर पर अधिक पैसा देने के लिए बाध्य किया गया है;

(ग) क्या कुछ वितरण उपभोक्ताओं को कम वजन वाले एल०पी०जी० सिलिंडरों की आपूर्ति कर रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो वितरकों के माध्यम से उपभोक्ताओं को समुचित सेवा सुनिश्चित करने और दोषी वितरकों की पहचान करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश शर्मा): (क) सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों के डिस्ट्रीब्यूटरों के यहां सूचीबद्ध देश में वर्तमान एल पी जी उपभोक्ताओं की मांग कमोबेश पूर्णतया पूरी की जा रही है। लखनऊ, आगरा और कानपुर सहित उत्तर प्रदेश में उत्पन्न होने वाले अस्थायी बैंक लोगों को बढ़ाए गए कार्य-घंटों और अवकाश के दिनों में भरण संयंत्रों के प्रचालन द्वारा एल पी जी आपूर्तियों में वृद्धि करके और समीपवर्ती क्षेत्रों में भरण संयंत्रों से आपूर्तियों की व्यवस्था करके निपटाया जाता है।

(ख) सितंबर, 95 से नवंबर, 95 की अवधि के दौरान अधिक कीमत लेने की कोई साबित शिकायत नहीं रही है।

(ग) और (घ) भरण संयंत्रों पर एल पी जी सिलेंडरों के वजन की शुद्धता सुनिश्चत करने के लिए स्पष्ट रूप से निर्धारित पद्धतियां हैं। एल पी जी भरण संयंत्रों से प्राप्त होने पर डिस्ट्रीब्यूटरों द्वारा एल पी जी सिलेंडर तोले जाते हैं और कम वजन वाले सिलेंडर भरण संयंत्रों को वापस भेज दिए जाते हैं। उपभोक्ताओं को रीफिल सिलेंडर की सुपर्दगी से पहले डिस्ट्रीब्यूटरों को इसे तौलना होता है ताकि वजन की शुद्धता सुनिश्चित की जा सके। जैसे ही कम वजन के सिलेंडरों की बिक्री से संबंधित विशिष्ट शिकायतें प्राप्त होती हैं। एल पी जी विपणन कंपनियों द्वारा इनकी जांच-पड़ताल की जाती है और यदि शिकायत साबित हो जाती है, तो विपणन अनुशासन दिशा-निर्देशों तथा राज्य सरकारों द्वारा भी अपने माप और तौल विभागों के माध्यम से एल पी जी डिस्ट्रीब्यूटरों के विरुद्ध उचित कार्रवाई की जाती है। उपभोक्ता से कम वजन वाला सिलेंडर वापस लेकर उसे एक नया सिलेंडर भी जारी किया जाता है।

Security threat to Egyptian Embassy Staff

1680. SHRI SATISH AGARWAL: Will the Minister of EXTERNAL AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether the staff of Egyptian Embassy in India is facing threats of terrorist attacks;

(b) if so, whether any request has been received for providing tight security; and

(c) if so, what action has been taken in the matter?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI R. L. BHATIA): (a) to (c) Under the Vienna Convention on Diplomatic Relations, the Receiving State is under an obligation to take all appropriate steps to protect the premises of the Missions, persons of diplomatic agents and private residences occupied by them against any intrusion, damage, disturbance or impairment. The same protection is also given to non-diplomatic staff members.

The Government of India is fully meeting its obligations on this account and appropriate security is being provided to all foreign diplomatic interests as per the requirements of each